



## केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यू, दिल्ली-110002.

**CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION**

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)  
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002



के.मा.शि.बो./नि. (शै.अ.प्र.न.)/एसएल/2014

दिनांक: 3 जुलाई, 2014

परिपत्र संख्या- शै. 20/2014

के.मा.शि.बो. से संबद्धता प्राप्त  
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

**विषय : वाचन एवं श्रवण कौशलों का आकलन (शैक्षणिक सत्र 2014-15)**

शैक्षणिक सत्र 2013-14 से अंग्रेजी विषय में कक्षा IX एवं X के लिए लागू वाचन एवं श्रवण कौशल के मूल्यांकन परियोजना के द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यालयों में शिक्षण-अध्ययन प्रक्रिया में विद्यार्थियों की अंग्रेजी भाषा में कुशलता को जाँचने तथा सुधारने के लिए एक सुधारवादी दृष्टिकोण लेकर आया है।

विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षक यह मानते हैं कि संरचित एवं सन्तुलित पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने वाचन एवं श्रवण कौशलों के अभ्यास के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। बोर्ड अपने सभी सम्बद्ध विद्यालयों को वाचन एवं श्रवण कौशलों के मूल्यांकन के लिए कक्षा IX में एस ए-I में, कक्षा X में एस ए-I तथा एस ए-II में तथा कक्षा XI में मध्य अवधि परीक्षा में वांछित सन्दर्भ सामग्री के अद्यतन नमूने एवं अन्य आवश्यक निर्देशिकाएँ अपनी वेबसाइट [www.cbseacademic.in](http://www.cbseacademic.in) पर **ASL Gateway webport** के माध्यम से उपलब्ध करता है।

विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों के लिए परामर्शी हस्तपुस्तिका  
विषयवस्तु:

- प्रत्येक मूल्यांकन कार्य (1, 2, 3 एवं 4) के केन्द्र बिन्दु
- मूल्यांकन कार्य के लक्ष्य
- मूल्यांकन के क्षेत्र एवं विषय
- वाचन मूल्यांकन के विषय प्रश्न
- कक्षा में गतिविधियाँ करने के लिए शिक्षण सुझाव
- प्रदर्शन निष्पादन निरूपक
- विद्यालय प्रमुखों के लिए निर्देशिकाएँ

### एसएल गेटवे सहायक सामग्री

- कक्षा परक विशिष्टीकरण
- श्रवण सामग्री, कार्य तालिका, अंकतालिका के नमूने
- भाषा अभ्यास की गतिविधियाँ
- प्रशिक्षण कैलेन्डर
- परिपत्रों के माध्यम से कालिक अद्यतन
- ग्रेड प्रदान करने के लिए निर्देशिकाएँ
- परियोजना अद्यतन फीडबैक प्रपत्र
- विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों के लिए परामर्शी

Link : <http://www.cbseacademic.in/aslcorner.html>

अतः सभी विद्यालय प्रमुखों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे संलग्नक 'अ' एवं एसएल गेट वे पर अपलोड किए दस्तावेजों को देखें तथा उपलब्ध जानकारी को शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में प्रसारित करके उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करें।

अग्रिम किसी भी जानकारी के लिए कृपया निम्न को संपर्क करें:

सुश्री नीलिमा शर्मा, परामर्शदात्री (अंग्रेजी)	011-23233552
सुश्री राजेस्वरी पी. शिक्षा अधिकारी (शैक्षणिक)	011-23231248

हस्ताक्षरित/-

डॉ. साधना पाराशर

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
- 11 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 12 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 13 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
- 14 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 16 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 17 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
- 18 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 19 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 20 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 21 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 22 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
- 23 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
- 25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
- 26 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)